भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3069

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ऊंची इमारतों के मापदंडों की स्वीकृति

+3069. श्री वरुण चौधरीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अग्निशमन सुरक्षा और पर्यावरणीय अनुपालन में कमियों के बावजूद ऊंची इमारतों वाली परियोजनाओं को वैधानिक स्वीकृतियां प्रदान करने का आरोप लगाने वाली देश के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को सेक्टर-50, गुरुग्राम, हरियाणा की किसी आवास परियोजना के संबंध में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), कब्जा प्रमाण पत्र और पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करने से जुड़ी इसी प्रकार की चिंताओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार और सोसायटी-वार ब्यौरा क्या है तथा इसमें तय की गई जिम्मेदारी और समस्या के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उन मामलों में राज्य प्राधिकरणों द्वारा ऐसी स्वीकृतियां देने में अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा की है या समीक्षा करने का प्रस्ताव है, जिनमें बाद में गंभीर सुरक्षा कमियां देखी जाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऊंची इमारतों वाली परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार के लिए विशेषकर सेक्टर 50, गुरुग्राम में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ख): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं।इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन, भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के कार्य हैं। तदनुसार, भवन योजनाओं का अनुमोदन, अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का निर्गमन एवं नवीनीकरण, सौंपे/पूर्णता प्रमाण-पत्रों का प्रदान किया जाना, भवनों का निरीक्षण तथा उल्लंघनों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और अग्निशमन सेवाओं द्वारा लागू राज्य अधिनियमों, नियमों, भवन उपविधियों तथा विकास नियंत्रण विनियमों के अनुसार की जाती है।

अलग-अलग बहुमंजिला परियोजनाओं में अग्नि सुरक्षा, पर्यावरणीय अनुपालन अथवा वैधानिक अनुमोदनों के प्रदान किए जाने से संबंधित कथित कमियों की शिकायतों की जांच एवं उन पर कार्रवाई संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा की जाती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ऐसी शिकायतों और अनुमोदनों से संबंधित परियोजना-वार कोई केंद्रीकृत आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ग) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के मार्गदर्शन के लिए मॉडल भवन उपविधियां, **2016** जारी की हैं। मॉडल भवन उपविधियों के अध्याय **11–**अग्नि संरक्षण एवं अग्नि सुरक्षा आवश्यकताएं में अग्नि संरक्षण और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं तथा अध्याय **5–**बहुमंजिला विकास के लिए प्रावधान में बहुमंजिला विकासों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान निर्देशात्मक प्रकृति के हैं और संबंधित राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इन्हें अंगीकृत एवं अधिसूचित किए जाने के उपरांत ही विधिक रूप से प्रवर्तनीय होते हैं। अग्नि सुरक्षा से संबंधित मानदंड एवं मानक तथा उनके कार्यान्वयन का प्रावधान संबंधित राज्य भवन उपविधियों और विकास नियंत्रण विनियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक, **2026** के भाग एफ–'अग्नि एवं जीवन सुरक्षा' में अग्नि निवारण, अग्नि से संबंधित जीवन सुरक्षा तथा भवनों के अग्नि संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, भाग एफ में बहुमंजिला भवनों के लिए अग्नि एवं सुरक्षा से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं का प्रावधान किया गया है, विशेष रूप से नियोजन, डिजाइन, निष्पादन, रख-रखाव और प्रशिक्षण के संबंध में।

इसके अतिरिक्त, एमबीबीएल, **2016** भवन योजनाओं की जांच, अग्नि एवं जीवन सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा, आपदा सहनीयता, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों तथा अधिभोग संबंधी अनुमोदन प्रदान किए जाने से संबंधित एक मॉडल फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को पारदर्शी, समयबद्ध और प्रौद्योगिकी-सक्षम तरीके से आवेदनों की जांच, विभागीय स्वीकृतियों के एकीकरण, भवन योजनाओं की डिजिटल जांच तथा इलेक्ट्रॉनिक अनुमोदन अभिलेखों के रख-रखाव के लिए ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली लागू करने हेतु भी प्रोत्साहित किया गया है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत, निर्माण अनुमतियों को ऑनलाइन जारी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए **452** अमृत शहरों सहित **3,774** शहरों में ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली क्रियान्वित की गई है।

तथापि, मॉडल भवन उपविधियों का अंगीकरण, राज्य भवन विनियमों में संशोधन, निरीक्षण करना, समय-समय पर अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराना, अनुमोदनों का प्रकटीकरण, उल्लंघनों के विरुद्ध प्रवर्तन-कार्रवाई तथा अधिकारियों और परियोजना प्रवर्तकों की जवाबदेही निर्धारित करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और सक्षम स्थानीय प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
